

Bhopal, dated: 22nd March, 2006

No.832-MPERC-2006. In exercise of powers conferred under Section 39(2) (d), 40(c), 42(2,3), 86(1)(c) read with section 181(1) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby amends Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 notified vide No.1431-MPERC-2005 dated 16th June, 2005:

First Amendment to MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 - (AG 24(i) of 2006)

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 (First Amendment) (AG 24 (i) of 2006)**".
- (ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- (iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 2:

In the **Hindi version** of MPERC(Terms & Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005, **in the Clause 2.1** in the definition, "दिवस" the numerals "0.00" shall be substituted by the numerals "00.00".

By order of the Commission

Ashok Sharma, Deputy Secretary

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल-462016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2006

क्रमांक – 832 –मप्रविनिआ–2006. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39 (2) (डी), 40 (सी), 42 (2, 3), 86 (1) (सी) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1431 /मप्रविनिआ/2005 दिनांक 16 जून, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में निम्न संशोधन करता है :

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें)
विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एजी-26 (i) वर्ष 2006)**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

- (i) ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें), विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन)” (एजी 24 (i), वर्ष 2006)”, कहलायेंगे।
- (ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।
- (iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

2. धारा 2 में संशोधन :

मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें विनियम, 2005 के हिन्दी संस्करण के अनुच्छेद 2.1 में परिभाषा “दिवस” के अंको, “0,00” को अंको “00.00” द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,, उपसचिव